

# मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कंडिका 7.1 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्या:- 12  
सेवा में

दिनांक 19 / 02 / 2015

1. श्री गौतम साहा, पिता- रघु मणेश नारायण साहा,
2. श्री सोम नाथ साहा, पिता- रघु मणेश नारायण साहा,  
जवाहरलाल रोड नं- 16 मानगो, जमशेदपुर।
3. श्रीमति शीला केशरी, पति- किरण लाल केशरी,  
कबी तिरथ सारणी, खिदीरपुर, कोलकता - 23
4. श्रीमति सर्वीता केशरी, पति- मनोज कुमार केशरी,  
फ्लैट नं-4 यमुना अपार्टमेंट, निरंजन सिंह कॉम्प्लेक्स,  
डिमना रोड, मानगो।

महाशय,

प्लॉट संख्या:- 692, 899 (P) खाता संख्या-100, 806 गौजा:- पारडीह, वार्ड नं-09 पर भवन निर्माण हेतु आपके हारा दिये गये आवेदन के आलोक में Semi - Basement (Parking) + Ground Floor + 1<sup>st</sup> Floor (Commercial) + 4<sup>th</sup> Floor (Residential), ऊँचाई - 16.50 मीटर, कुल इकाई - 18 अद्व आवासीय इकाई, 24 अद्व शॉप (दुकान) तथा 09 अद्व ऑफिस के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है-

1. आवेदक हारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में बदली नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के युग्मता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग/भारतीय भानक/भारतीय भवन संहिता की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संचालन के सही रूपाकार एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अधियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने चालसरदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेंडल का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ.क्षे.स. कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात इसकी जाँच (इस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्ता को अपार्टमेंट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्ता को निजी ड्रांसफार्म की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में घनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अनिश्चालक यंत्र लगाना होगा। प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 20 दिनांक 21.01.2015 के हारा दिये गये निर्देश का अकरण: पालन सुनिश्चित करना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging तथा Recycling of Waste Water का प्रयोग सुनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50 प्रतिशत प्लॉट एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ.क्षे.स. को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. मानगो बिल्डिंग बाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ.क्षे.स. हारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. मानवीय न्यायालय हारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रक्षा, स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रायागत प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिधारी अधियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
18. यह परमिट निर्माण हेतु निर्गत तिथि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विद्यमान्य होगी।

*Jyoti Ray*  
13/02/15

सहायक अधियंता  
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति  
जमशेदपुर।

*G.M.*  
19-02-15

विशेष पदाधिकारी  
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति  
जमशेदपुर।